खान मजदूरों के पुनर्वास की पुख्ता व्यवस्था की जाए

राज्य मानवाधिकार आयोग का सरकार को आदेश

जोधपुर, 10 फरवरी (कासं)। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपालकृष्ण व्यास ने राज्य सरकार को प्रदेश में कार्यरत खान मजदूरों के राहत और पुनर्वास के पुख्ता बंदोबस्त करने का आदेश दिया है। जस्टिस व्यास ने आयोग का कार्यभार संभालने के बाद पहली सुनवाई करते हुए बुधवार को इस संबंध में परिवादी वैभव भंडारी के प्रार्थना - पत्र पर अपने आदेश में कहा कि राज्य में खान मजदूरों के राहत और पुनर्वास के लिए स्थापित मिनरल फाउंडेशन का यह दायित्व है इस संबंध में संवेदनशीलता दिखाते हुए ऐसे श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल , पुनर्वास और उनको आर्थिक सम्बल प्रदान करने की दिशा में गंभीरता से काम करें । व्यास ने कहा खान श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा जिलेवार गठित मिनरल फाउंडेशन प्रत्येक माह एक निश्चित स्थान पर शिविर आयोजित करके न सिर्फ उन्हें कि जागरूक करेगा अपितु ऐसे मजदूरों को उनके कार्य सुरक्षा से जुड़े जरूरी उपकरण भी उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने फाउंडेशन को खान क्षेत्र में कार्य के दौरान सिलिकोसिस रोग से पीड़ित होने वाले मजदूरों के उपचार का खर्च भी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा फाउंडेशन को आवंटित बजट खनन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण पर व्यय किया जाना चाहिए।उन्होंने फाउंडेशन को राज्य के प्रत्येक जिले में श्रमिक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करने का निर्देश देने के साथ ही सिलिकोसिस पीड़ितों एवं उनके परिवारों की देखभाल व उन्हें आर्थिक सहायता मुहैय्या करवाने को कहा। उल्लेखनीय है कि परिवादी ने विशेष रूप से पाली जिले के करीब 300 सिलिकोसिस मरीजों की फाउंडेशन द्वारा अनदेखी किये जाने और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने के बावजूद राहत नही देने का जिक्र करते हुए उनके राहत की मांग उठाई थी।

न्यायमूर्ति व्यास खान मजदूरों के राहत और पुनर्वास के पुख्ता बंदोबस्त करने का आदेश दिया

(कार्यालय संवाददाता)

जोधपुर, 10 फरवरी। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपालकृष्ण व्यास ने राज्य सरकार को प्रदेश में कार्यरत खान मजदूरों के राहत और पुनर्वास के पुख्ता बंदोबस्त करने का आदेश दिया है।

जस्टिस व्यास ने आयोग का कार्यभार संभालने के बाद पहली सुनवाई करते हुए बुधवार को इस संबंध में परिवादी वैभव श्रीवास्तव के प्रार्थना - पत्र पर अपने विस्तृत आदेश में कहा कि राज्य में खान मजदूरों के राहत और पुनर्वास के लिए स्थापित मिनरल फाउंडेशन का यह दायित्व है इस संबंध में संवेदनशीलता दिखाते हुए ऐसे श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल , पुनर्वास और उनको आर्थिक सम्बल प्रदान करने की दिशा में गंभीरता से काम करें । व्यास ने कहा खान श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा जिलेवार गठित मिनरल फाउंडेशन प्रत्येक माह एक निश्चित स्थान पर शिविर आयोजित करके न सिर्फ उन्हें कि जागरूक करेगा अपितु ऐसे मजदूरों को उनके कार्य सुरक्षा से जुड़े जरूरी उपकरण भी उपलब्ध करवाएगा।

उन्होंने फाउंडेशन को खान क्षेत्र में कार्य के दौरान सिलिकोसिस रोग से पीड़ित होने वाले मजदूरों के उपचार का खर्च भी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा फाउंडेशन को आवंटित बजट खनन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण पर व्यय किया जाना चाहिए।

उन्होंने फाउंडेसन को राज्य के प्रत्येक जिले में श्रमिक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करने का निर्देश देने के साथ ही सिलिकोसिस पीड़ितों एवं उनके परिवारों की देखभाल व उन्हें आर्थिक सहायता मुहैय्या करवाने को कहा।

उल्लेखनीय है कि परिवादी ने विशेष रूप से पाली जिले के करीब 300 सिलिकोसिस मरीजों की फाउंडेशन द्वारा अनदेखी किये जाने और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने के बावजूद राहत नही देने का जिक्र करते हुए उनके राहत की मांग उठाई थी।

पुलिस विवि के प्रशिक्ष

(कार्यालय संवाददाता)

जोधपुर, 10 फरवरी। सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय की ओर से सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओ और क़ानूनों पर पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में समापन हुआ।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा केंद्र नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए आरपीटीसी के प्रिंसिपल राहुल बारहठ ने कहा कि पुलिस पर कानून व्यवस्था बन भी कई दायित्व आ ग जागरूक रहना समय क सुरक्षा के तहत पुलिस

स्वत्वाधिकारी, मालिक, प्रकाशक, सम्पादक एवं मुद्रक मनीष चोप